32

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

की

प्रस्तावित अड़तालीसवीं बोर्ड बैठक

हेतु

कार्य–सूची

दिनांक: 20/03/2015
समय: अपराह्न 03:00 बजे

स्थान:–
सभागार, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

विषयः हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण की प्रीत विहार योजना द्वितीय व आनन्द विहार योजना में प्रभावित तालाबों के क्षेत्रफल के समतुल्य प्राधिकरण योजना में अन्यत्र तालाब खोदकर उनकी प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः रिट याचिका सं0 6472/एम.बी./2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 के अनुपालन में तालाबों पोखरों चरागाओं, कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र सं0 1074/8–3–13–79विविध/13 दिनांक 06.06.2013 प्राप्त हुआ है।

राजस्व अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 233रिट/1–2–2013–रिट(224) 2012 दिनांक 26.04.2013 मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी किये गये है। शासनादेश में उल्लिखित हैं कि "मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.03.2013 में निम्न आदेश पारित किये–

Status report filed in Court is taken on record. Towards our last order dated 29.01.2013, Shri Kishan Singh Atoria, Principal Secretary, Revenue, Sri Anil Kumar-II, Secretary Board of Revenue, Sri R.K. Vishwakarma, I.G. (Law & Order) and Sri Badam Singh, Deputy Legal Remembrancer, are present in Court. We have also perused the status report. It appears that the Committee is doing commendable job and thus we extend the scope of order to cover the Municipal area as well.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 के अनुपालन में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में आने वाले तालाब/पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि पर से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 224रिट/1–2–2012–रा–2 दिनांक 6.9.2012 के क्रम नगर विकास एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विशेष सचिव को बहुसदस्यीय समिति का पदेन सदस्य नामित किया जाता हैं।

बहुसदस्यीय समिति के सदस्यों के साथ नामित विशेष सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग शहरी क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषदों में आने वाले तालाब/पोखरों चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि पर हुए अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटवाकर कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट के साथ मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई की नियत तिथि को उपस्थित रहेगें। "

100

329

प्राधिकरण की प्रीत विहार द्वितीय योजना के ग्राम अच्छेजा के खसरा नं0 221, 270, व 286 कुल क्षेत्रफल 6998 वर्गमी0 पर जोहड दर्ज है जिससे 20 आवासीय भूखण्ड प्रभावित है तथा प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना के ग्राम सबडी के खसरा नं0 71 व 88 कुल क्षेत्रफल 4902 वर्गमी0 पर जोहड दर्ज है। खसरा न0 71 में सडक एवं खसरा नं0 88 में 28 आवासीय भूखण्ड प्रभावित है।

उक्त प्रभावित भूखण्डों में अधिकांश भूखण्डों का विक्रय विलेख निष्पादित हो चुका है।

प्राधिकरण की विगत 47वी बोर्ड बैठक दिनांक 05/09/2014 के मद सं0 9 में उक्त तालाबों से प्रभावित भूखण्डों को अन्यत्र भूखण्डों से समायोजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है किन्तु तालाबों से प्रभावित अधिकांश भूखण्डों का विक्रय विलेख होने व आवंटियों द्वारा भूखण्डों के समायोजन का विरोध किये जाने के कारण एवं विधिक अड़चन के दृष्टिगत भूखण्डों का अन्यत्र समायोजन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त तालाबों का कुल क्षेत्रफल 11900 वर्ग मीटर भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु योजनाओं में उपलब्ध भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

योजना से प्रभावित तालाबों की भूमि का विवरण		**तालाबों पर योजना से प्रभावित भूमि की प्रतिपूर्ति का विवरण**
क्रम सं0	ग्राम का नाम/ खसरा नं0/रक्बा	आनन्द विहार योजनाः–
प्रीत विहार आवासीय योजना–II	अच्छेजा 221 4300.00 वर्ग मी0 270 1688.00 वर्ग मी0 286 1010.00 वर्ग मी0	1 एल. ब्लॉक में नाले के समीप ग्रीन बैल्ट में तालाब हेतु लेआउट में चयनित 3900 वर्गमी0 भूमि के स्थान पर भूमि(135mx51m) :– 6885 वर्ग मीटर प्रस्तावित है।
आनन्द विहार आवासीय योजना	सबड़ी 71 732.00 वर्ग मी0 88 4170.00 वर्ग मी0 योजना से प्रभावित कुल क्षे0 11,900.00 वर्ग मी0	2. एल. ब्लॉक में निर्माणधीन एल0आई0जी0 एवं ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के समीप :– 3658 वर्ग मी0 **प्रीत विहार योजना फेज–2 :–** 3. प्रीत विहार योजना फेज–2 के पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु निर्धारित भूमि :– 1400 वर्ग मी0 **प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कुल भूमि :– 11,943.00 वर्ग मीटर**

उपरोक्त तालाबों की भूमि दो राजस्व ग्रामों अच्छेजा व सबड़ी के अन्तर्गत आती है तथा योजना से प्रभावित तालाबों की भूमि की प्रतिपूर्ति अधिकांशतः राजस्व ग्राम अच्छेजा के अन्तर्गत की जा रही है। राजस्व ग्राम सबड़ी तथा अच्छेजा क्षेत्र की सीमायें आपस में मिली हुई है। तालाबों के क्षेत्रफल के समतुल्य उपरोक्तानुसार योजनाओं में उपलब्ध भूमि में तालाब खोदकर उनकी प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रारम्भ कर शासन को पत्र सं0 1030/भू0 अ0/एचपीडीए/14 दिनांक 22.12.2014 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार तालाबों के कुल क्षेत्रफल 11900 वर्गमी0 के समतुल्य कुल 11943.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल के तालाब खोदकर प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

		प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। **विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।**
16	प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध कृत कार्यवाही के संबंध में।	अवगत कराया गया कि हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर मसूरी नहर से गढमुक्तेश्वर–बृजघाट गंगा नदी तक विस्तारित हैं। प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों/कालोनाइजेशन के विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013–14 में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

विकास क्षेत्र	चालानन	शमन स्वीकृत	ध्वस्त निर्माण	सील निर्माण	ध्वस्तीकरण आदेश पारित
हापुड़	90	09	14	01	16
पिलखुवा	91	09	20	02	50
गढमुक्तेश्वर	88	03	07	02	55
कुल योग	269	21	41	05	121

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत हापुड़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है।

चालान	शमन स्वीकृत	सील निर्माण	ध्वस्तीकरण आदेश पारित
44	16	01	12

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है।

चालान	शमन स्वीकृत	सील निर्माण	ध्वस्तीकरण आदेश पारित
24	03	01	06

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत गढमुक्तेश्वर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है।

चालान	शमन स्वीकृत	सील निर्माण	ध्वस्तीकरण आदेश पारित
35	02	–	30

प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनाइजेशन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से अनाधिकृत कालोनियों के ध्वस्तीकरण हेतु भी समय–समय पर अभियान चलाये जाते रहे हैं। गत लगभग दो वर्षों में प्राधिकरण द्वारा जिला पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से कृषि एवं हरित पट्टी भू–उपयोग में अवैध रूप से काटी जा रही लगभग 70 अनाधिकृत कालोनियों के विरूद्ध

अजय यादव
(आई०ए०एस०)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

(भूपेन्द्र सिंह)
आयुक्त

		उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत नियमानुसार ध्वस्तीकरण किया गया। प्राधिकरण विकास क्षेत्रान्तर्गत किये जाने वाले अवैध निर्माणों/अवैध कालोनाइजेशन के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। **अवलोकन किया गया।**
17	**अतिरिक्त मद सं0– 01** प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना के एल ब्लॉक में स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि 20062 वर्ग मी0 को खेल विभाग हापुड को स्टेडियम के विकास हेतु निःशुल्क पट्टे पर दिये जाने के सम्बंध में।	अवगत कराया गया कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हापुड के पत्रांक 220/एस0टी0–ए0डी0एम0–हापुड/2014 दिनांक 04/09/2014 एवं उप कीडाधिकारी हापुड द्वारा अपने पत्रांक 70 दिनांक 03/09/2014 के माध्यम से खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु स्टेडियम के विकास के लिये 40000 वर्ग मी0 भूमि निःशुल्क आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि हापुड–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पास वर्तमान में खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु 40000 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध नही है। आनन्द विहार आवासीय योजना के एल ब्लॉक में स्टेडियम निर्माण हेतु लगभग 20062 वर्ग मी0 भूमि नियोजित है, जो पहले से ही खेल के मैदान के लिये आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि को खेल अवस्थापनाओं के लिये सृजन हेतु उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बंध में यह भी अवगत कराना है कि बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित यमुनापुरम आवासीय योजना में स्टेडियम हेतु चिन्हित 17724.65 वर्ग मी0 भूमि का आवंटन निःशुल्क 30 वर्ष के पट्टे पर दिनांक 30/07/2005 में किया गया है। तदनुसार प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना में स्थित 20062 वर्ग मी0 भूमि में स्टेडियम विकसित करने हेतु नियमानुसार शर्तो आदि का उल्लेख करते हुये खेल अवस्थापनाओं के सृजन एवं विकास हेतु निःशुल्क खेल विभाग को 30 वर्ष के पट्टे पर देने की सैद्धान्तिक सहमति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। **विचार–विमर्श के उपरान्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किया गया।**

अन्त में सभी सदस्यों एवं अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बोर्ड बैठक समाप्त की गई।

(अजय यादव)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

(भूपेन्द्र सिंह)
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/
अध्यक्ष, हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण

(भूपेन्द्र सिंह)
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ

अजय यादव
(आई0ए0एस0)
उपाध्यक्ष
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़